

न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार ..... (बून्दी)

सरकार बनाम

निर्णय

मु.नं. 29/2018 तारीख रजू. 15.11.2018 तारीख निर्णय 29/11/2018  
आज पत्रावली व मुकाम इलाहाबाद केस मारवाड़ा पेश हुई कि गैर सायल उपस्थित है/नहीं है। रिपोर्ट पटवारी अंश मारवाड़ा प्राप्त होने पर यह है कि गैर सायल  
श्री इलाहाबाद पुत्र श्री मोती जाति कील  
निवासी मारवाड़ा द्वारा आराजी खसरा नं. 622 रकबा 0.30  
किस्म जमीन जा II मौजा मारवाड़ा पर संवत् 2024 में अतिक्रमण  
कर काशत/कब्जा कर लिया है। गैर सायल के नियमानुसार धारा 91 भू राजस्व अधिनियम सन 1956/उपनिवेशन अधिनियम  
की धारा 22 के तहत नोटिस जारी किया गया जो बाद तामील शामिल मिसल किया गया। अतिक्रमी बावजूद तामील के भी हाजिर  
नहीं है। उसके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। उसने कोई जवाब व सबूत पेश नहीं किया। अतिक्रमी ने  
उक्त सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा/काशत करके धारा 91 एल.आर. एक्ट / राज. उपनि. अधिनियम की धारा 22 का उल्लंघन  
किया है। गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अतिक्रमी श्री इलाहाबाद को आराजी खसरा नं. 622 रकबा 0.30  
मौजा मारवाड़ा से बेदखल किया जाता है एवं लगान दर 7.00 से उक्त रकबा  
लगान 2.10 का 50 गुना में शास्ति 105 कायम की  
जाती है एवं फसल नीलामी फर्द तैयार करने व बेदखली हेतु पटवारी एवं भू. अभि. निरीक्षक को लिखा जावे तथा राजस्व लेखाकार  
एवं पटवारी को वसूली व जमा कायमी कराई जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय सारे इजलास सुनाया  
गया।

दिनांक 29/11/2018

नायब तहसीलदार  
तहसीलदार/नायब तहसीलदार  
तहसील इन्द्रगढ़